



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54858

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2831/2026

रमेश गुप्ता और 6 अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: बृजेश कुमार पांडे

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 51

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी/सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री यशवंत प्रताप सिंह और राज्य के विद्वान एजीए श्री आचार्य राजेश त्रिपाठी की दलीलें सुनी गईं।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के तहत यह आपराधिक अपील अपील को स्वीकार करने और विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, महाराजगंज द्वारा विशेष परीक्षण संख्या 697/2022 (राज्य बनाम रमेश गुप्ता और अन्य) में दिनांक 24.2.2026 और दिनांक 9.11.2022 को पारित आदेशों को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 139/2022, धारा 147, 323, 504, 325 आईपीसी और धारा 3(2)(व) और 3(1)(ध) एससी/एसटी अधिनियम, पुलिस स्टेशन फरेंदा, जिला महाराजगंज से उत्पन्न हुआ है। यह अपील पक्षों के बीच समझौते के आधार पर दायर की गई थी।

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उनके बीच समझौता हो गया है, और तदनुसार, 11.02.2026 को एक समझौता पत्र निष्पादित किया गया था। इसे संबंधित अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और दोनों पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे। हालांकि, अवर न्यायालय ने अपने दिनांक 24.02.2026 के आक्षेपित आदेश द्वारा इस आधार

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पर समझौते को अस्वीकार कर दिया कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोपित अपराध गैर-समझौता योग्य हैं। विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और वे चाहते हैं कि मामले का निर्णय समझौते के आधार पर किया जाए।

4. दिनांक 24.02.2026 के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सभी पक्षकार निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने समझौता पत्र क्रमांक 17 ख/1 प्रस्तुत किया। उक्त समझौते पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं, और दोनों पक्षकारों की पहचान उनके संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा विधिवत की गई थी।

5. इस न्यायालय के समक्ष पक्षकारों ने निवेदन किया है कि उन्होंने इस मामले में समझौता कर लिया है और अपने सभी विवादों का निस्तारण कर लिया है तथा अब वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों के बीच हुआ समझौता इस मामले के सूचनादाता पर किसी प्रकार के दबाव या अनुचित प्रभाव के बिना किया गया है तथा यह पक्षकारों की स्वतंत्र इच्छा और सहमति का परिणाम है।

6. अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामला विशुद्ध रूप से निजी विवाद का है और प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत होता है कि कथित अपराध सूचनादाता की जाति के कारण नहीं किया गया है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराधों को छोड़कर, अभियुक्त के विरुद्ध मामूली अपराधों का आरोप लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, पक्षकारों के बीच हुआ समझौता बिना किसी अनुचित प्रभाव के सूचनादाता-विपक्षी पक्ष संख्या 2 की स्वतंत्र इच्छा और सहमति का परिणाम है।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध से संबंधित मामले में क्या समझौता सत्यापित और स्वीकार किया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय ने रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 13 एससीसी 635 के मामले में दिया है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ संख्या 17 नीचे उद्धृत किया गया है:-

"17. दूसरी ओर, यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन अपराध, यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत आता है, मूलतः निजी या दीवानी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रकृति का है, या जहां कथित अपराध पीड़ित की जाति के कारण नहीं किया गया है, या जहां कानूनी कार्यवाही जारी रखना विधि का दुरुपयोग होगा, तो न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार, जब किसी समझौते के आधार पर कार्यवाही रद्द करने की प्रार्थना पर विचार किया जाता है, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि यदि विचाराधीन अपराध बिना दंड के रह जाता है, तब भी अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन या उसमें कमी नहीं आएगी, तो केवल इस तथ्य से कि अपराध किसी "विशेष कानून" के अंतर्गत आता है, यह न्यायालय या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा।"

8. उक्त निर्णय के पैराग्राफ 19 में आगे यह कहा गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"19. हम यह कहना चाहेंगे कि ऐसे मामलों में, न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए और भी अधिक सतर्क रहना चाहिए कि सूचनादाता-पीड़ित ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से समझौता किया है, न कि किसी दबाव के कारण। यह कम करके नहीं आंका जा सकता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हमारे देश के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, इसलिए वे जबरदस्ती के कृत्यों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, और इसलिए उन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यदि न्यायालयों को जबरदस्ती या बल प्रयोग का जरा सा भी संकेत मिलता है, तो आरोपी पक्ष को कोई राहत नहीं दी जा सकती। न्यायालयों को किन कारकों पर विचार करना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

9. गुलाम रसूल खान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2022 (8) ए.डी.जे. 691 के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले का अवलोकन करने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत किसी मामले का निस्तारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14-ए(1) के तहत आपराधिक अपील में किया जा सकता है और इसके लिए धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

10. उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायालय पाता है कि चूंकि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है, इसलिए विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, महाराजगंज द्वारा विशेष परीक्षण संख्या 697/2022 (राज्य बनाम रमेश गुप्ता और अन्य) में दिनांक 24.2.2026 और दिनांक अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9.11.2022 को पारित आपराधिक मामले की संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 139/2022 अंतर्गत धारा 147, 323, 504, 325 आईपीसी और धारा 3(2)(व) और 3(1)(ध) एससी/एसटी अधिनियम, पुलिस स्टेशन फरेंदा, जिला महाराजगंज से उत्पन्न है, को रद्द किया जाता है और दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार वर्तमान आपराधिक अपील को स्वीकार किया जाता है।

18 मार्च, 2026

उज्जवल

(अनिल कुमार-X, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"